सत्र समापन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय का उद्‌बोधन

(दिनांक 31 मार्च, 2011)

तृतीय विधान सभा के षष्ठम सत्र का आज अंतिम दिवस है । मैं इस सत्र के समापन अवसर पर सर्वप्रथम सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय उपाध्यक्ष को कार्यवाही के सुव्यवस्थित रूप से संचालन के लिये हृदय से धन्यवाद देता हूँ ।

विधान सभा का यह षष्ठम सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस सत्र में कुल 27 बैठकें सम्पादित हुई, जिसमें कुल 134 घण्टे 35 मिनट माननीय सदस्यों ने न केवल प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्ताव तथा नियम 139 के अंतर्गत सभा में शासन की जवाबदेही सुनिश्चित की अपितु वर्ष 2011–12 के बजट अनुमान एवं 13 विधेयकों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण वित्तीय एवं विधिक कार्य भी सम्पादित किया ।

यह सदन छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 15 लाख जनता की आकांक्षाओं का केन्द्र बिन्दु है और मैं यह कह सकता हूँ कि माननीय सदस्यों ने छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति में अपने विचारों के द्वारा उनके दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया । यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधि उच्च संसदीय कीर्तिमान एवं संसदीय संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं तो जन–जन तक इसका एक अच्छा संदेश जाता है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस सदन की गरिमा में भी अभिवृद्धि होती है ।

यद्यपि वर्तमान सत्र में कुछ मुद्‌दों पर प्रतिपक्ष उद्‌वेलित भी हुआ और कुछ समय के लिये संसदीय प्रणाली में शासन की किसी नीति अथवा कार्य के संबंध में विरोध की अभिव्यक्ति बहिर्गमन करके भी की किन्तु समग्र रूप से यदि हम देखें तो ऐसे अवसर सभा की कुल सम्पूर्ण अवधि में से अल्प समयावधि के लिये ही आए । यह इस बात का द्योतक है कि माननीय सदस्यों ने जन–भावनाओं के अनुरूप संसदीय परम्पराओं को आत्मसात करते हुये अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन किया है और प्रदेश की 2 करोड़ 15 लाख जनता ने माननीय सदस्यों की संसदीय संस्कारों के प्रति दृढ़ विश्वास एवं इच्छाशक्ति की संभावनाओं को भी महसूस किया है । इसके लिये मैं समस्त सदस्यों को बधाई देता हूँ ।

इस सत्र में निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 59 –संजारी–बालोद से उप चुनाव में निर्वाचित सदस्या श्रीमती कुमारी मदन साहू ने 21 फरवरी, 2011 को सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की और सभा में स्थान ग्रहण करने के पश्चात् सभा की कार्यवाही में हिस्सा भी लिया । मैं उनके इस सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचन एवं सभा की कार्यवाही में प्रथम सत्र में ही हिस्सा लेने के अवसर पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ ।

मैं यहाँ यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि सदस्यों के कार्य एवं व्यवहार पर ही इस राज्य की प्रतिष्ठा एवं प्रगति निर्भर करती है । सदस्यों का कार्य एवं व्यवहार किस प्रकार रहें, इस पर विचार करने का दायित्व समस्त सदस्यों का ही है और यह अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि सभा में अधिक सारगर्भित एवं सम्यक चर्चा कैसी हो ? चर्चा के दौरान जो निष्कर्ष बाहर आये, उसके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है ? इन समस्त बिन्दुओं पर आप समस्त माननीय सदस्य गंभीरता से विचार करें ।

आप सबको यह स्मरण होगा कि दिनांक 3 मार्च, 2011 को प्रश्नोत्तर सूची के प्रश्न क्रमांक 3 जो जांजगीर जिले के रोगदा बॉध से संबंधित था, पर मैंने शासन के उत्तर से उद्भूत विषयों पर प्रतिपक्ष की मॉग के अनुरूप सभा की समिति का गठन भी किया है और इस विचार को पुष्ट करने का प्रयास भी किया है कि जब बहुमत के आगे अल्पमत की बातों को अपेक्षित महत्व न मिलें, तब ऐसी स्थिति में आसंदी के लिये यह दायित्वाधीन होता है कि अल्पमत के कारण प्रतिपक्ष की कोई जायज मॉग बहुमत के सामने गुम न हो जाये । विषय की महत्ता एवं तत्कालिकता पर विचार कर मैंने यह प्रकरण जॉच समिति को संदर्भित भी किया और इसी प्रकार दिनांक 23 फरवरी, 2011 के प्रश्न संख्या–5 (क्रमांक 883) जो कि पंचायत विभाग के वाटरशेड मैनेजमेंट की योजना के लिये कार्य आवंटन से संबंधित था, पर विचार करते हुये प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित किया ।

इस सदन की यह मौलिक विशेषता है कि पक्ष एवं प्रतिपक्ष के मध्य लोक कल्याणकारी विषयों पर सदन में वैचारिक मतभेद अवश्य प्रतीत होते हैं जो कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मूल तत्व है किन्तु मुझे प्रसन्नता इस बात की है और मैं इस अवसर पर बधाई भी देना चाहता हूॅ कि पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य मनभेद का दुर्बल पक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता ।

सभा में सदस्यों ने सहृदयता एवं सद्भाव के जिस भाव को प्रदर्शित किया है और सार्वजनिक जीवन में भी सद्भावी व्यवहार के जो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, उसकी मैं सराहना करता हूॅ । ऐसे संसदीय आस्था में विश्वास रखने वाले सदस्यों के सदन के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारियों का अवसर प्राप्त होना निश्चित तौर पर एक गर्व की बात है और मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूॅ ।

इस सत्र में जहॉ प्रतिपक्ष के सदस्यों ने एक सशक्त और जागृत विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया है, वहीं सत्ता पक्ष एवं इसके सदस्यों ने प्रतिपक्ष की जनकल्याण के प्रति आस्था के परिप्रेक्ष्य में वांछित व्यवहार एवं भावना को भी अपने कार्यों से पुष्ट किया है । मैं सत्ता पक्ष एवं इसके सदस्यों को भी विशेष रूप से बधाई देता हूॅ ।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिनांक 8 मार्च, 2011 को जहॉ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, बहुजन समाज पार्टी के विधायक दल के नेता माननीय श्री दूजराम बौद्ध एवं अन्य माननीय महिला सदस्यों ने मातृशक्ति के प्रति आस्था को अपने विचारों के माध्यम से प्रकट किया, वहीं दिनांक 14 मार्च, 2011 को राष्ट्रकुल दिवस के अवसर पर महिलाओं के समग्र विकास पर केन्द्रित विषय **''महिलाओं का परिवर्तन के प्रतिनिधि के रूप में योगदान''** पर विधान सभा सचिवालय द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के 29 से अधिक चयनित प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर रहे छात्र–छात्राओं को पुरस्कृत भी किया ।

वस्तुतः युवा पीढ़ी की संसदीय प्रणाली के प्रति आस्था को सुदृढ़ करना ही इस प्रणाली को सुदृढ़ करना है और यही कारण है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विधान सभा सचिवालय युवा पीढ़ी को इस प्रणाली के प्रति जागृत करने और इसके प्रति आस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है । वर्तमान सत्र में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के 1502 छात्र–छात्राओं ने विधान सभा की कार्यवाही देखी । निश्चित रूप से विधान सभा की कार्यवाही देखने के लिये आने वाले विद्यार्थियों के मन में इस प्रणाली को समझने का जो अवसर प्राप्त हुआ, उसके दूरगामी परिणाम अवश्य आयेंगे। मैं इस अवसर पर महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों की भी प्रशंसा करता हूॅ । आप माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अपने विधानसभा क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं को विधानसभा परिभ्रमण में सहयोग करें जिससे कि प्रदेश के अधिकतम छात्र–छात्राएं राज्य की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था की कार्यप्रणाली और महत्व को सहजता से समझ सके।

माननीय सदस्य अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकें, इस हेतु उनका स्वस्थ्य रहना अत्यंत आवश्यक है । इसी उद्देश्य से विधान सभा सचिवालय में दिनांक 8 मार्च से 10 मार्च, 2011 तक मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापकों एवं मेकाहारा हास्पिटल के चिकित्सकों की उपस्थिति में एक चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया तथा एस्कार्टस् हास्पिटल के चिकित्सकों ने भी दिनांक 25 मार्च, 2011 को माननीय सदस्यों के लिये चिकित्सा शिविर का आयोजन किया । चिकित्सा शिविर में आने वाले और सदस्यों का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक एवं इससे जुड़े अन्य कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ ।

इस सत्र में गुरूवार, दिनांक 24 मार्च, 2011 को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन तथा मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2011 को महामहिम राज्यपाल जी के मुख्य आतिथ्य में उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। आप सबको विदित ही है कि संसदीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत सदस्यों के द्वारा सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने हेतु प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावाली के अंतर्गत दी गयी विभिन्न सूचनाओं की संख्यात्मक जानकारी एवं सभा में समग्र रूप से सदस्यों के हिस्सा लेने, संसदीय आचरण का पालन करने को विचार में लेते हुये पक्ष एवं प्रतिपक्ष के दो सदस्य क्रमशः माननीय श्री संतोष बाफना जी एवं माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी का चयन समिति के द्वारा किया गया और सभा की कार्यवाही के जन–जन तक सम्प्रेषण में पत्रकारों की भूमिका को विचार में लेकर उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया संवाददाता क्रमशः दैनिक भास्कर के श्री शिव दुबे एवं जी–24 घंटे छत्तीसगढ़ की सुश्री प्रियंका कौशल को भी महामहिम राज्यपाल जी के करकमलों से अलंकृत किया गया । मैं माननीय सदस्य श्री संतोष बाफना, माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अकबर, श्री शिव दुबे एवं सुश्री प्रियंका कौशल को भी इस अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ तथा महामहिम जी की उपस्थिति के लिये मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ ।

अलंकरण समारोह के पश्चात् संस्कृति विभाग के सौजन्य से सुप्रसिद्ध नृत्यांगना पदमश्री हेमामालिनी एवं उनकी पुत्री ईशा एवं आहना का शास्त्रीय नृत्य का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मैं संस्कृति मंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सौजन्य से माननीय सदस्यों के लिये कार्यक्रम का आयोजन संभव हो सका ।

इस सत्र में जनप्रतिनिधि संस्थाओं एवं संगठनों के लगभग 49 लोगों ने सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया, 8100 व्यक्तियों को विधान सभा परिसर प्रवेश पत्र जारी किये गये । साथ ही लगभग 10,000 व्यक्तियों ने दर्शक दीर्घा से विधान सभा की कार्यवाही का अवलोकन किया।

दर्शक दीर्घा का विस्तार जन–जन तक करने के उद्देश्य से दूरदर्शन के माध्यम से प्रश्नकाल की कार्यवाही भी प्रति दिन प्रसारित की गई ।

वैसे तो यह बजट सत्र था जिसमें 48 विभागों की 72 मांगों पर माननीय सदस्यों ने चर्चा की और चर्चा उपरांत मांगों को पारित किया किंतु वित्तीय कार्य के साथ–साथ वर्तमान सत्र में चर्चा के विभिन्न माध्यमों से लगभग समस्त सामयिक अवलंबनीय लोक महत्व के विषयों पर व्यापक और विस्तार से चर्चा होना इस सदन की उपलब्धि है। अब मैं इस बजट सत्र में सदन के संपन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से आपको अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र में 2598 प्रश्नों की सूचनायें प्राप्त हुई। इसमें ग्राह्य तारांकित प्रश्न 1016 रहे इनमें से 233 प्रश्न पर चर्चा हुई। इस सत्र में मौखिक प्रश्नों का औसत 9 प्रश्न का रहा, अर्थात प्रश्नकाल का माननीय सदस्यों ने आवश्यक लाभ उठाया। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है कि इस सत्र में अविलंबनीय लोक महत्व के प्रत्येक विषयों पर विभिन्न माध्यमों के तहत सदन में चर्चा हुई इस सत्र में नियम 139 के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल 5 सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें से 3 सूचनाओं पर चर्चा हुई।

इस सत्र में 41 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए जिनमें से 11 अशासकीय संकल्प चर्चा के लिये सदन में रखे गये उनमें से 10 संकल्प स्वीकृत हुए एवं एक संकल्प अस्वीकृत हुआ।

आप माननीय सदस्यों ने तर्क की तुला से प्रत्येक विषय को तौला और चर्चा को निष्कर्ष तक पहुंचाया आपके इस कार्य से निश्चित ही प्रदेश के जनता के मध्य यह संदेश जाएगा कि उनके द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि इस प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में जन–भावना, जन–कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृत संकल्पित है। इस सत्र में कुल 165 स्थगन के प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें से दो विषयों से संबंधित 42 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर ग्राह्यता पर सदन में चर्चा हुई। अग्राह्य स्थगन प्रस्तावों की संख्या 118 रही। इस सत्र में शून्यकाल की 178 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से 117 सूचनाएं ग्राह्य व 61 सूचनाएं अग्राह्य रही।

तृतीय विधानसभा के इस चतुर्थ सत्र में कुल 757 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें 112 सूचनाएं ग्राह्य व 559 सूचनाएं अग्राह्य रही। इस सत्र में कुल 13 विधेयक लाए गए और पारित हुए। इस सत्र में कुल 25 विभागीय प्रतिवेदन प्रतिवेदन पटल पर रखे गये वहीं 303 याचिकाएं भी सदन पटल पर रखी गई । लोक लेखा समिति के 15 प्रतिवेदन सहित विधान सभा की विभिन्न समितियों के कुल 32 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए । भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन भी सभा में प्रस्तुत हुए ।

इन सांख्यिकी ऑकड़ों के आधार पर मैंने इस सत्र में सम्पादित कार्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है । मैं कह सकता हूँ कि आपने अपने दायित्वों का निर्वहन समुचित रूप से किया ।

इस सत्र समापन के अवसर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के विषय में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपने अपनी कलम के माध्यम से अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। मैं पत्रकार दीर्घा के सभी पत्रकार बंधुओं को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने सत्रकाल में सदन से संबंधित समाचारों को अपेक्षित स्वरूप में आम जनता के मध्य रखा। इस सत्र समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सभापति तालिका के सम्माननीय सदस्य माननीय सर्वश्री बद्रीधर दीवान, धर्मजीत सिंह, डॉ. शक्राजीत नायक, डॉ. हरिदास भारद्वाज, देवजी पटेल सहित आप सभी सदस्यों को आपके सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूं।

इस अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्विध्न सत्र संपन्न कराने में सहयोग देने के लिये मैं उन्हे भी धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रदत्त दायित्वों का गंभीरता से परिपालन किया। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा। इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधानसभा सचिवालय के सचिव एवं समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि उनके समन्वित सहयोग से ही इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका। परंपरा रही है कि सत्र समाप्ति के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि सदन को सूचित की जाती है तद्नुसार आगामी मानसून सत्र अगस्त माह में तृतीय–चतुर्थ सप्ताह में आहूत होने की संभावना है।

इस अवसर पर मैं आवाहन करना चाहता हूं कि आइए ! छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के पावन अनुष्ठान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें।

धन्यवाद !

जय – हिन्द ! जय – भारत ! जय – छत्तीसगढ़ !